फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

ओमप्रकाश धौरा बनाम आदू धौरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन मुकदमा नम्बर 350/2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/12/24	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री करनाराम नकवासरा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 ए Rt Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/12/24 को पेश हो ।	
20/12/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगम कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 14/01/25 को पेश हो।	
07/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जावें। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत आवेदित रास्ता स्थान की मौका जांच रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया तहसीलदार सेड़वा को रास्ते संबन्धी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट हेतु लिख... ...
रिपोर्ट के इंतजार में आईन्दा दिनांक 14/01/...
पेश हो।

14/01/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट के इंतजार में आईन्दा दिनांक 30/01/2025 को पेश हो।

30/01/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 05/02/25 को पेश हो।

05/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। विपक्षीगण के सम्मन Registered तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। तहसीलदार लेड़वा से रास्ते संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण के जवाब एवं मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु पत्रावली आईन्दा दिनांक 25/02/25 को पेश हो।

25/02/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु पत्रावली आईन्दा दिनांक 15/04/25 को पेश हो।

15/04/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु आईन्दा दिनांक 25/06/25 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

न- ओमप्रकाश गौरा बनाम आदु गौरा

हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यो मे व्यस्त है. मिसल इल्तवा होकर पत्रावली [illegible] आदेशकानुसार आईन्दा दिनांक 19/08/25 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन, अवलोकन किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अत: रास्ते से संबंधित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 350/2024 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र लाखाराम 2. अणसीदेवी पत्नी लाखाराम 3. ठाकराराम पुत्र लाखाराम 4. धमेन्द्र पुत्र लाखाराम 5. पोकराराम पुत्र लाखाराम 6. मगाराम पुत्र लाखाराम 7. मांगाराम पुत्र लाखाराम 8. रामाराम पुत्र लाखाराम जातियान जाट, निवासीगण जाटो का बेरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	01. आदु पुत्र चुतरा 02. ईशराराम पुत्र बांका 03. काना पुत्र चुतरा 04.खेराज पुत्र चुतरा 05. ठाकराराम पुत्र बस्ताराम 06. देवी पत्नी बांकाराम 07. देवाराम पुत्र बस्ताराम 08. पुनमा पुत्र बांकाराम 09. पेम्पोदेवी पत्नी खेराजराम 10. प्रभु पुत्र बांकाराम 11. भेराराम पुत्र बस्ताराम 12. भेराराम पुत्र बांकाराम 13. भीखोदवी पुत्री बस्ताराम 14. मेघा पुत्र चुतरा 15. माना पुत्र पीरा 16. रामुदेवी पत्नी गंगाराम 17. लक्ष्मीदेवी पत्नी बस्ताराम 18. सुखराम पुत्र पीरा, 19. हनुमान पुत्र बांकाराम 20. हनुमान पुत्र हरखाराम जातियान–जाट, निवासीगण–जोटो का बेरा, तहसील–सेड़वा, जिला–बाडमेर। 21. शाखा प्रबंधक दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. शाखा सेड़वा। 22. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सेड़वा। 23. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थी :– श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक :– 19/08/2025

प्रार्थीगण ओमप्रकाश पुत्र लाखाराम जाति--जाट, निवासी–जाटों का बेरा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम–जाटो का बेरा पटवार हल्का–सारला, उपखण्ड क्षेत्र– सेड़वा के खेत खसरा नत्बर 787/420 रकबा 1.5459 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण की वर्षों पुरानी रहवासीय ढाणी आई हुई है। प्रार्थीगण को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने–जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत व रहवासीय ढाणी में आने–जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत ग्राम–जाटों का बेरा, पटवार हल्का–सारला के खसरा नम्बर 713/419 रकबा 2.9380 हैक्टेयर में से 20 फीट के चौडे रास्ते की [illegible] रूठ से आवश्यकता है। हमारे खेत में आने के लिए खसरा नम्बर 964/786, 807/420 भूमि रास्ते [illegible] हुआ है, आगे हमारे खेत तक आने जाने के लिए खसरा नम्बर 713/419 में [illegible]ता आने–जाने के लिए आवागमन की

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...तु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने–जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक रास्ता नही है। उक्त रास्ता सारला से जाटों का बेरा जाने वाली डामर सड़क को जोडता है, जिससे मांगा गया रास्ता निकटतम व सुविधाजनक है। अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने आप की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से 20 फिट चौडे रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसे संलग्न नक्शे में चिन्हित स्थान पर ही सुविधाजनक व उपयुक्त रास्ता हैं, जिसे संलग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ट 'अ'' में लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढा जावें। प्रार्थीगण के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थी के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने–जाने, खेतों में व रहवासीय ढाणी में आने–जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने–ले जाने, राशन सामग्री लाने–ले जाने इत्यादि कई कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है, जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यन्त आवश्यकता है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि से चलने से मना कर दिया। जिससे प्रार्थीगण रास्ता की सुविधा के अधिकार पाने का कानूनी हकदार है। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर शुल्क अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के समन्न तामिल शुदा प्राप्त होने के बावजूद उनकी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया। जिस पर न्यायालय द्वारा क्रमांक रीडर/2025/07 दिनांक 08.01.2025 द्वारा तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांक भू.अ./2025/218 दिनांक 29.01.2025 द्वारा प्रकरण में न्यायालय को मौका रिपोर्ट मय खसरा नक्शा एवं जमाबंदी प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्रांक भू.अ./2025/218 दिनांक 29.01.2025 द्वारा प्राप्त मौका जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है–ग्राम जाटों का बेरा के खसरा संख्या 787/420 रकबा 5.4300 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के खातेदार श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

(2)

...काश पुत्र लाखाराम वगैरा को सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 713/419 रकबा 2.9380 हैक्टेयर में से होकर रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम खातेदारान मय सकूनत	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि है.	ग्राम की डीएलसी दर	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की कीमत	डीएलसी दर से दुगुनी कीमत	बरंग	वि. वि.
01.	आदू वगैरा	जाटों का बेरा	713/419	2.9380 हैक्टेयर	बारानी अव्वल	240 गट्ठा 0.0971 हैक्टेयर	190000 प्रति हैक्टेयर सिंचित सड़क पर	18449	36898	हरा	

ग्राम जाटों का बेरा के खसरा संख्या 713/419 रकबा 2.9380 हैक्टेयर के उत्तरी सेढे पर कई वर्षों से आवागमन चालू होने के निशान यथा चार पहिया वाहनों के टायरों के निशान बने हुए हैं। वर्तमान में सड़क के पास स्थानीय कंटिली झाड़ियों से बाड़ बनाकर चार पहिया वाहनों का आवागमन बंद किया हुआ है, पैदल आवागमन चालू है। प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे में बरंग हरा से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई मकान, कीमती पेड़ नहीं है, एक खेजड़ी का पेड़ प्रस्तावित रास्ते के सेढे पर है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ग्राम जाटों का बेरा की प्रचलित डीएलसी दर 190000 रूपये प्रति हैक्टेयर (सिंचित सड़क के पर) है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस सूचित किया गया लेकिन विप्रार्थी सुखराम पुत्र पीराराम एवं विप्रार्थी रामूदेवी के पति गंगाराम के अलावा कोई विप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। फर्द मौका पढकर सुनाई गई, सही होना स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं मोतबरान ने हस्ताक्षर किए। मौके पर उपस्थित विप्रार्थीगण ने हस्ताक्षर से इन्कार किया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया तथा [illegible] अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की [illegible] चित्त से विचारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

3

था। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम खातेदारान मय सकूनत	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि है.	ग्राम की डीएलसी दर	प्रस्तावित रास्ते में प्रयुक्त भूमि की कीमत	डीएलसी दर से दुगुनी कीमत	बरंग	वि. वि.
01.	आदू वगैरा	जाटों का बेरा	713/419	2.9380 हैक्टेयर	बारानी अव्वल	240 गट्ठा 0.0971 हैक्टेयर	190000 प्रति हैक्टेयर सिंचित सड़क पर	18449	36898	हरा	

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2025 मय फर्द दिनांक 16.01.2025 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग हरा से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 03 गट्ठा चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.01.2025 व नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) मेड़ता

4

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 19/08/25 **को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।**

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

(5)

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 218

दिनांकः— 29-01-2025

प्रेषितः— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः— राजस्व आवेदन सं 350 / 2024 अनवान ओमप्रकाश वगैरह बनाम आदु वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 350 / 2024 अनवान ओमप्रकाश वगैरह बनाम आदु वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम जाटों का बेरा के खसरा **787 / 420** में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. **713 / 419** में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक सारला द्वारा दिनांक 16.**01.2025** को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका

प्रथम कोर्ट

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

दिनांक 16.01.2025 को श्रीमान तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक/भू अ/71 दि 10.01.2025 एवं माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद संख्या 350/2024 उनवान ओमप्रकाश वगैरा बनाम आदू वगैरा अन्तर्गत RT Act की धारा 251A मे मौका रिपोर्ट तैयार करने पटवारी हल्का सारला के साथ ग्राम जाटो का बेरा के खसरा संख्या 713/419, 787/420 पर आया।

ग्राम जाटो का बेरा के खसरा संख्या 787/420 रकबा 1.5459 है० किस्म बा० उप के खातेदार श्री ओमप्रकाश पुत्र लाखाराम वगैराह को सड़क मार्ग तक आने जाने के लिये विपक्षीगण के खेत खसरा संख्या 713/419 रकबा ~~[illegible]~~ 2.9380 है० मे से होकर रास्ता दिया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है! —

क्र.स.	नाम खातेदारान मय सहन्नत	ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि है०	ग्राम की DLC दर	प्रस्तावित रास्ते मे प्रयुक्त भूमि कीमत	DLC दर से दुगुनी कीमत	नक्शा	वि.वि.
1.	आदू, मेघा, खेराज, काना पि. पुनरा 1/4 भेरा, पुत्र; हनुमान, ईशरा, पुनमा पि० बाका 1/30 देवू पत्नी बाका 19/120 भेराराम ठाकराराम, देवाराम पि० बस्ताराम 1/20 लक्ष्मी पत्नी बस्ताराम 1/60 भीखो पुत्री बस्ताराम 1/60 माना, सुखराम पि० पीरा 1/6 हनुमान पुत्र हरखाराम 1/20 — रामूडेवी पत्नी गंगाराम 1/8 पेम्पो पत्नी खेराजराम 1/8 आति जाट सा० देह खातेदार रहन — आदू, मेघा, माना लक्ष्मीदेवी, काना, खेराज, ठाकराराम, देवाराम, भेराराम पुत्र बस्ता, भीखो का हि० BCCB सेड़वा रहन - सुखराम का हि० SBI शाखा सेड़वा	जाटो का बेरा	713/419	2.9380 है०	बा० उप	80 फुट x 03 फुट = 240 फुट = 0.12 बीघा अर्थात 0.0971 हैक्टर	190000 प्रति हैक्टर सिंचित सड़क पर	18449/-	36898/-	हरा	
		योग	1	2.9380 है०	बा० उप	0.0971 है०	190,000 प्रति है०	18449/-	36898/-	हरा	

ग्राम जाटो का बेरा के खसरा संख्या 713/419 रकबा 2.9380 है० के उत्तरी मेढ पर कई वर्षो से आवागमन चालू होने के निशान तथा चार पहिया वाहनो के टायरो के निशान बने हुए है, वर्तमान मे सड़क के पास स्थानीय कांटेली झाड़ियो से बाड़ बनाकर चार पहिया वाहनो का आवागमन बन्द किया हुआ है, पैदल आवागमन चालू है। प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे में बरंग हरा से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई मकान, कीमती पेड़ नही है, एक खेजड़ी का पेड़ प्रस्तावित रास्ते के मेढ पर है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में मांगे गये प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई [illegible] नही है। ग्राम जाटो का बेरा की प्रचलित DLC दर 190,000/- प्रति हैक्टर [illegible] सड़क पर) है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को आदेश नोटिस [illegible] सुखराम पुत्र पीराराम, एवं विपक्षी रामूडेवी के पति गंगाराम के अलावा कोई विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए।

फर्द मौका पढकर सुनाई गई सही होना स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं मौत बयान ने हस्ताक्षर किये, मौके पर उपस्थित विपक्षीगण ने हस्ताक्षर से इन्कार किया।

[signature] 16/01/25
पटवारी

[signature] CS

[stamp: [illegible] (भू.अ) सेड़वा]

[signature] 16/01/2025
ILR सारला

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:36:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : बाड़मेर | तहसील : सेड़वा | दिनांक : 16/01/2025 12:52:53 PM
पटवारी हल्का : सारला | ग्राम : जाटों का बेरा | भू. अ. नि. क्षेत्र : सारला

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

खसरा संख्या :713/419 क्षेत्रफल : 2.9380 Hectare खाता संख्या : 105पुराना खाता संख्या :122

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.अव्वल [2.9380, 1.65]

1.) आदू पुत्र चुतरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
10.) प्रभू पुत्र बॉंका हिस्सा- 1/120 जाति- जाट सा. देह खातेदार
11.) भेराराम पुत्र बस्ताराम हिस्सा- 1/60 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/60 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
12.) भेराराम पुत्र बॉंका हिस्सा- 1/120 जाति- जाट सा. देह खातेदार
13.) भीखोंदेवी पुत्री बस्ताराम हिस्सा- 1/60 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/60 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
14.) मेघा पुत्र चुतरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
15.) माना पुत्र पीरा हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
16.) रामुदेवी पत्नि गंगाराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार
17.) लक्ष्मीदेवी पत्नि बस्ताराम हिस्सा- 1/60 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/60 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
18.) सुखराम पुत्र पीरा हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/12 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडि या शाखा सेडवा
19.) हड़ुमान पुत्र बॉंका हिस्सा- 1/120 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2.) ईशराराम पुत्र बॉंका हिस्सा- 1/120 जाति- जाट सा. देह खातेदार
20.) हनुमान पुत्र हरखाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार
3.) काना पुत्र चुतरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/[illegible] (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
4.) खेराज पुत्र चुतरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
5.) ठाकराराम पुत्र बस्ताराम हिस्सा- 1/60 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/60 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
6.) देवू पत्नि बांकाराम हिस्सा- 19/120 जाति- जाट सा. देह खातेदार
7.) देवाराम पुत्र बस्ताराम हिस्सा- 1/60 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा-1/60 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा
8.) पुनमा पुत्र बॉंका हिस्सा- 1/120 जाति- जाट सा. देह खातेदार
9.) पेम्पोदेवी पत्नि खेराजराम हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:36 IST
Reason: SelfAttested

16/01/2025
ILR सारला